18/9/24 पत्रावली पेश हुई। वकीलान उभय पक्ष बहस वकालात सुनी जाकर उभय पक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वह मूल वाद के निर्णय तक राजस्व ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा संख्या 2393 व 2396 भूमि की राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे। पत्रावली के फल शुमार होकर नम्बरान कायम हो एवं मूल वाद के तरफी हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)